रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1808] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2012/भाद्र 22, 1934
No. 1808] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2012/BHADRA 22, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2012

का.आ. 2169(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988(1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 78 (अ), तारीख 4 फरवरी 1999 द्वारा आंध्रप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 के 0.000 कि.मी. से 233.000 कि.मी. तक (विशाखापटनम से उड़ीसा / आंध्रप्रदेश सीमा सेक्शन) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956(1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि आंध्रप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 पर 97.00 कि.मी. से 49.00 कि.मी. (नया चैनेज 606.204 कि.मी. से 654.204 कि.मी.) (श्रीकाकुलम से चम्पावती सेक्शन) तक के खण्ड के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यानों पर चार और अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु, कुल सड़क खंड की लम्बाई 48.000 कि.मी. के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर शुल्क (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) उद्गृहीत करती है और प्राधिकरण को अपने पदधारियों के माध्यम से अथवा ठेकेदार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रह करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

3466 GI/2012

सारणी 1

यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर (रुपये में)
(1)	(2)
कार, जीप , वैन या हल्के मोटर यान	0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक यान	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय यान (ब.धु.य.) (चार से छह धुरी)	3.45
अधिक बड़े आकार वाले यान (सात या अधिक धुरीय)	4.20

टिप्पण :

1. नीचे उद्‌गृहीत तथा संग्रहीत शुल्क ऐसे टोल प्लाजा के लिए निर्दिष्ट सड़क की कुल लम्बाई हेतु निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा :

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	**लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है**
(नया चैनेज 616.704) (चिलकापेलम गांव के पास, श्रीकाकुलम जिले में)	48.000

2. वर्ष 2012-13 के लिए, स्थानीय निजी यातायात के संबंध में मासिक पास की दर 200.00(दो सौ रूपए मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क(दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अध्यधीन है ।

3. राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया जायेगा अर्थात्

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में रजिस्ट्रीकृत वाणिज्यिक यान (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे यानों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के यान के लिए निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत होगा परंतु यह कि ऐसे वाणिज्यिक यानों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक रोड उपलब्ध न हो ।

5. जो यांत्रिक यान नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित विर्निदिष्ट भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के यानों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।

6. यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूटप्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को संप्रदर्शित किया जाएगा ।

8. उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार, शुल्क की दरों में वार्षिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा ।

9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 171.25 करोड़ रूपए है । प्राधिकरण द्वारा उपयोक्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का अभिलेख रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार उन्हें वार्षिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा ।

10. राष्ट्रीय राजमार्ग , जिसका निर्माण 11 सितम्बर ,1956 को या उसके पश्चात् किंतु 5 दिसम्बर 2008 से पहले ,सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना या निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (वार्षिकी) परियोजना के तौर पर किया गया हो , के किसी खण्ड , के लिए जिसमें बाइपास या सुरंग शामिल है, के उपयोग के लिए शुल्क की दर वही होगी , जो राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्ड के लिए उपनियम (2) और (3) में दी गई है, और जिसमें नियम 5 के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षित किया जायेगा।

परन्तु यह कि इस बात के होते हुए भी कि क्या राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा पुल के खण्ड के उन्नयन का कार्य हाथ में लिया गया है या नहीं, ऐसे किसी राष्ट्रीय राजमार्ग , स्थायी पुल , बाईपास या सुरंग जिसका निर्माण उक्त नियमों के प्रारम्भ से पहले किसी सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना या निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (वार्षिकी) परियोजना के माध्यम से किया गया हो, के खण्ड के उपयोग के लिए शुल्क की दर , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण), दूसरा संशोधन नियम ,2011 के प्रारम्भ के पश्चात् , ऐसे प्रारम्भ से तत्काल पहले लागू शुल्क की दरों में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की वृद्वि नहीं की जायेगी और आगे की वार्षिक वृद्वि किसी भी मामले में पूर्ववर्ती वर्ष में लागू दर के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

[फा. सं: भाराराप्रा/13013/174/04-05/सीओ/11-12/जीसी विशाखापटनम (49.0-97.0)]

नन्दन सिंह, उप-सचिव

पाद टिप्पण : यह भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1180(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 को,

उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2012

S.O. 2169(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 78 (E), dated the 4th February, 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 233.00 (Visakhapatnam to Orissa/ Andhra Pradesh Border section] of National Highway No. 5 in the State of Andhra Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length of 48.000 kilometer (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the section from kilometer 97.00 to kilometer 49.000 (new chainage kilometer 606.204 to kilometer 654.204) (Srikakulam – Champavati Section) on the National Highway No. 5 in the State of Andhra Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes : -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch. (new chainage 616.704) (near Chilakapalem village in Srikakulam district)	48.000

2. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 200.00 (rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

8. The fee rates shall be revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules.

9. The estimated capital cost of the project is Rupees 171.25 crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

10. The rate of fee for the use of a section of a national highway consisting of bypass or tunnel constructed on or after 11th September, 1956 but before 5th December, 2008, through public funded project or build, operate and transfer (annuity) project, shall be the same, as provided in sub-rule (2) and (3) for the Section of a national highway, and, shall be revised in accordance with the provisions of rule 5.

Provided that notwithstanding whether the Section of the national highway or the bridge has been taken for further lane upgradation or not, the increase in the rate of fee for use of a Section of such national highway, permanent bridge, bypass or tunnel constructed through any public funded project or any build, operate and transfer (annuity) project constructed before the commencement of the said rules, shall not be increased after the commencement of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment, Rules, 2011 by more than twenty-five per cent of the rates of fee applicable immediately before such commencement and further annual increase shall in no case be more than twenty-five per cent of the rate applicable in the immediately preceding year."

[F. No. NHAI/13013/174/04-05/CO/11-12/GC Vizag (49.0-97.0)]

NANDAN SINGH, Dy. Secy.

Foot Note : This is in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1180(E), dated the 18th July, 2007 except as respects things done or omitted to be done before such supersession.

3466 GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.